

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 576/2010/जयपुर

मैसर्स अमर जैम्स, रामबाग हाऊस, नारायण सिंह
सर्किल, जयपुर।

.....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-बी, जयपुर।

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री आर.सी.अग्रवाल,
अभिभाषक ।

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री रामकरण सिंह,
उप-राजकीय अभिभाषक ।

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक :22.07.2014

निर्णय

अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स-पंचम), वाणिज्यिक कर जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 19.01.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है तथा जो अपील संख्या 84/अपील्स-II/2007-08/जे.पी.बी. के संबंध में है जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-बी, जयपुर (जिसे आगे "निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम की धारा 29(4) के तहत निर्धारण वर्ष 2004-05 के लिये पारित निर्धारण आदेश दिनांक 17.03.2007 के जरिये निर्धारित प्रशमन राशि रु.6,00,000/- व अनुवर्ती ब्याज रु.1,06,000/- की पुष्टि अपीलीय अधिकारी द्वारा किये जाने को विवादित किया गया है।

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा निर्धारण वर्ष 2004-05 के संबंध में प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच कर, यह पाया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा सराफा डीलर्स के लिये राज्य सरकार द्वारा जारी शमन योजना, 2004, जो जरिये विज्ञप्ति क्रमांक एफ. 4 (67)टैक्स/2004-43 दिनांक 12.07.2004 के अधिसूचित की गयी थी, के अनुसार विकल्प लेकर शमन राशि के भुगतान संबंधी प्रार्थना पत्र मय प्रशमन राशि रु.50000.00 को राजकोष में जमा करवाकर चालान की प्रति प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी के समक्ष दिनांक 09.08.2004 को प्रस्तुत की गयी, जिसे प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 10.08.2004 को स्वीकार किया गया । प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी ने जांच कर, यह भी पाया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त प्रशमन योजना के तहत निर्धारित पण्यावर्त 50 करोड़ से 100

लगातार.....2



करोड़ की बिक्री स्वीकार की गयी है, जिसके तहत प्रशमन राशि रू.6,00,000/- जमा करवाने का दायित्व अपीलार्थी व्यवहारी का है परन्तु अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रशमन राशि केवल 1.50 लाख ही जमा करवायी गयी है, जबकि प्रशमन राशि जमा कराने का दायित्व प्रतिमाह है। अतः प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रशमान योजना, 2004 अनुसार कुल प्रशमान राशि रू. 6,00,000/- निर्धारित कर, शेष प्रशमन राशि रू.4,50,000/- व अनुवर्ती ब्याज राशि रू.1,06,000/- निर्धारित कर, निर्धारण आदेश पारित किया गया। उक्त पारित आदेश के विरुद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार कर दी गयी। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

उभयपक्षीय बहस सुनी गयी।

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी जैम्स स्टोन्स, सोने व चांदी के बुलियन का क्रय-विक्रय करता है। कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि में क्रय किये जैम्स स्टोन, सोने व चांदी राज्य के पंजीकृत व्यवहारियों मैसर्स इंडस इंड बैंक से की गयी है जो स्वयम् राज्य सरकार द्वारा जारी शमन योजना, 2004 के तहत पंजीकृत हैं। अग्रिम तर्क दिया गया कि हस्तगत प्रकरण, विद्वान अतिरिक्त आयुक्त (विधि), जो कि आयुक्त की परिभाषा में शामिल है, के द्वारा दिये गये उपर्युक्त वर्णित अभिनिर्धारण आदेश/निर्णय दिनांक 14.11.2006 में प्रतिपादित विधि से पूर्णतः कवर्ड है एवम् उक्त अभिनिर्धारण के विरुद्ध विभाग द्वारा कोई विधिक उपचार नहीं लिया गया है अतः ऐसी उक्त न्यायिक अभिनिर्धारण, जो अधिनियम की धारा 40 के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रकाश में, ने अंतिमता (finality) ग्रहण कर ली है। पुनः कथन किया कि अपीलार्थी व्यवहारी का उक्त प्रकरण, उक्त निर्णय में प्रतिपादित विधि से पूर्णतः आच्छादित है, जैसा कि अपीलार्थी व्यवहारी शमन राशि भुगतान करने वाले व्यवहारियों से माल "बुलियन" खरीदने एवम् पश्चात्वर्ती विक्रय आवलियों में उक्त के कर संदत्त होने के कारण इस संबंध में अपीलार्थी व्यवहारी का शमन राशि भुगतान करने का कोई दायित्व नहीं बनता। अतः विधिक भूल के तहत शमन राशि के भुगतान का विकल्प लेकर, भुगतान की गयी शमन राशि को प्रतिदाय करने के आदेश

दिया जाकर, इस संबंध में देरी से शमन राशि भुगतान के आधार पर कायम की गयी ब्याज की मांग राशि को भी अपास्त करने की प्रार्थना की गयी। अपने कथन के समर्थन में, माननीय न्यायालयों के न्यायिक विनिश्चयों, यथा :-(2013) 60 वी.एस.टी. 1, 93 एस.टी.सी. 185, 114 एस.टी.सी. (सु.को.) 1, 24 एस.टी.सी. 25, (2010) 35 वी.एस.टी. 375, (2011) 7 जी.एस.टी. 343, (2014) 69 वी.एस.टी. 42, 98 एस.टी.सी. 82, 7 वैट रिपोर्टर 60 व 61 तथा 40 एस.टी.सी.40 (राज.) में प्रतिपादित विधि के प्रकाश में, दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों को अपास्त कर, प्रस्तुत अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

अग्रिम कथन किया कि अधिनियम के तहत किसी भी वस्तु पर कर दायित्व से अधिक कर, का आरोपण नहीं किया जा सकता। तर्क दिया कि यदि प्रथम बिन्दु पर कर चुका दिया गया है तो पश्चात्वर्ती विक्रय बिन्दु पर कर देयता नहीं ठहरायी जा सकती। एकल बिन्दु पर कर देयता के प्रकरणों में कर बिन्दु अगले स्तर पर स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता है। विद्वान अभिभाषक द्वारा अपने उक्त तर्क के समर्थन में 98 एस.टी.सी. 82 (आंध्र प्रदेश) को प्रोद्धरित कर कथन किया कि टेण्डर स्वीकार करने मात्र से Agreement to sale नहीं हो जाता है अर्थात् एक बार कर मुक्ति का विकल्प लेने मात्र से ही कर देयता नहीं होने पर कर का दायित्व नहीं उत्पन्न होता है। अपने कथन के समर्थन में विज्ञप्ति दिनांक 12.07.2004 के क्लॉज 7.1 की ओर ध्यानाकर्षित कर अभिवाक् किया कि जारी शमन योजना की समस्त शर्तें अधिनियम के प्रावधानों के तहत है। अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।

प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी की ओर से उप-राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि पारित अपीलीय आदेश विधिसम्मत एवम् उचित है क्योंकि अपीलार्थी व्यवहारी ने स्वयम् द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प(67) टैक्स/2004-43 दिनांक 12.07.2004 के आलोक में संचेतन मस्तिष्क का इस्तेमाल कर, अपने व्यापारिक हितों के मददेनजर, कर के स्थान पर, शमन राशि भुगतान करने का विकल्प जरिये आवेदन पत्र दिनांक 09.08.2004 को प्रस्तुत कर, लिया गया है। अतः अब इस आधार पर कि उसके द्वारा गलत विधिक सलाह के दिये जाने के कारण शमन राशि भुगतान करने का विकल्प लिया गया था, विधिसम्मत नहीं है। इस संबंध में

अग्रिम अभिवाक् किया कि राज्य सरकार द्वारा जारी की गयी ऊपर वर्णित अधिसूचना में कहीं भी निर्धारण वर्ष के दौरान लिये गये विकल्प से बाहर होने के कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि आगामी निर्धारण वर्ष में अधिसूचना में अंकित विहित प्रक्रिया के अनुसार, शमन राशि भुगतान करने के विकल्प से निर्धारण अधिकारी को सूचित कर, बाहर आया जा सकता है। अतः ऐसी स्थिति में, विकल्पानुसार शमन राशि रु.6,00,000/- भुगतान करने का दायित्व, अपीलार्थी व्यवहारी का बनता है एवम् उक्त आधार पर ही प्रत्यर्थी निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित किया गया निर्धारण आदेश उचित है तथा जिसकी पुष्टि अपीलीय अधिकारी द्वारा विधिक रूप से की गयी है। अपने उक्त तर्कों के आधार पर, दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों का समर्थन कर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने की प्रार्थना की गयी।


उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया। रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया एवम् राज्य सरकार द्वारा जारी ऊपर प्रोद्धरित अधिसूचना दिनांक 12.07.2004 के विभिन्न क्लाजेज का गहन अध्ययन किया गया। उक्त वर्णित अधिसूचना, दिनांक 12.07.2004 के अध्ययन करने से विदित होता है कि उक्त अधिसूचना में कर के स्थान पर शमन राशि भुगतान का विकल्प विहित प्रक्रिया के अनुसार लेने के पश्चात्, शमन राशि के भुगतान के दायित्वाधीन अपीलार्थी व्यवहारी है। चूंकि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा संचेतन मस्तिष्क से बिना किसी दबाव के अपने व्यापारिक हितों के मददेनजर स्वेच्छा से सकल वार्षिक आवर्त के आधार पर, निर्धारण वर्ष में शमन राशि भुगतान का विकल्प लिया गया है तथा तदनुसार शमन राशि जमा करायी गयी है। अतः ऐसी स्थिति में, अधिसूचना में अन्यथा प्रावधानों के अभाव में, यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि अपीलार्थी व्यवहारी पर आलोच्य अवधि में विकल्पानुसार सम्पूर्ण शमन राशि भुगतान करने के दायित्वाधीन है। इस संबंध में हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांतों में प्रतिपादित विधि लागू किये जाने योग्य नहीं है क्योंकि उक्त न्यायिक विनिश्चयन भिन्न तथ्यात्मक स्थिति के प्रकाश में पारित किये गये हैं। अतः माननीय न्यायालयों के प्रोद्धरित न्यायिक दृष्टांतों को ससम्मान व्यक्त कर, इस संबंध में यह पीठ समान तथ्यों पर कर के स्थान पर मुक्ति शुल्क राशि के भुगतान के प्रावधानों के मददेनजर, माननीय शीर्ष न्यायालय ने मै0 माईकॉन कन्स्ट्रक्शन लि. बनाम् स्टेट ऑफ कर्नाटक एवम् अन्य (2002) 127एस.टी.सी. 105 के प्रकरण में

लगातार.....5

अन्य अपील प्रकरणों के साथ विचार कर पेज-112 पर निम्न प्रकार विधि प्रतिपादित कर, अभिव्यक्त किया है: “.....The sub-sections expressly provide that the method of taxation provided thereunder is applicable only to a contractor who elects to be governed by the said alternate method of taxation. There is no compulsion upon any contractor to opt for the method of taxation provided by sub-section (7) or sub-section (7A). It is wholly within the choice and pleasure of the contractor. If he thinks it is beneficial for him to so opt, he will opt; otherwise, he will be governed by the normal method of taxation provided by section 5(1)(iv). Sub-section(8) provides that the option to come under sub-section(7) or (7A) has to be exercised by the contractor either by an express provision in the agreement for the contract or by an application to the assessing authority, to permit him to pay the tax in accordance with any of the said sub-sections.’ In these circumstances, it is evident that a contractor who had not opted to this alternate method of taxation cannot complain against the said sub-sections, for he is in no way affected by them. Nor can the contractor who has opted to the said alternate method of taxation, complain.....” इस संबंध में उल्लेखनीय है कि माननीय शीर्ष न्यायालयद्वारा वैकल्पिक तरीके से कर भुगतान विकल्प लेने की दशा में वैकल्पिक भुगतान के प्रावधानों के अनुसार ही करारोपण करने को विधिसम्मत होना अवधारित किया गया है। इस संबंध में शमन योजना के क्लॉज संख्या 7.4 की शर्तानुसार भी अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त योजना से बाहर आने के लिये निर्धारण अधिकारी को 30 दिन पूर्व सूचित नहीं किया गया है । यही नहीं शमन योजना के क्लॉज संख्या 7.5 में यह शर्त अनिवार्य है कि यदि कोई व्यवहारी शमन योजना के तहत कर मुक्ति का विकल्प लेने के उपरांत योजना से बाहर आना चाहता है तो उसे योजना के तहत विकल्पानुसार पूर्ण शमन राशि का भुगतान करना आवश्यक है । इस संबंध में उक्त योजना के क्लॉज संख्या 7.4 व 7.5 का मूल पाठ इस प्रकार है:—

7.4 Once the has exercised his option for the Composition Scheme, the dealer **during the composition period shall not be entitled to opt out of the scheme for a part of a financial**

लगातार.....6



अपील संख्या - 576/2010/जयपुर


year. If any dealer wishes to opt out of the scheme in the subsequent years, he shall have to inform the assessing authority of his intention of doing so 30 days prior to the 1st day of April of such subsequent financial year.

7.5 If any dealer voluntarily withdraws from the scheme for part of a year, he shall be required to deposit all the remaining instalments of the annual composition amount at once.

अतः ऐसी स्थिति में, हस्तगत प्रकरण जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी स्वयम् द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 12.07.2004 के आलोक, में स्वयम् के हितों में लाभप्रद होना मानकर, संचेतन मस्तिष्क से विकल्प लेकर, अधिसूचना के प्रावधानानुसार, कर के स्थान पर शमन राशि का भुगतान किया गया है, जिसके द्वारा पश्चात्वर्ती सोच के तहत कर दायित्व नहीं होने का तर्क देना विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है। लिहाजा, उपर्युक्त वर्णित तथ्यात्मक एवम् विधिक स्थिति के आलोक में, दोनों अवर अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों को यथावत रखा जाकर, अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

परिणामतः, अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


22.7.2014
(मदन लाल)
सदस्य